र व
काम
की
जा

लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारी:—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मा नम्बर:—82/2018 प्रार्थना पत्र
ी गीतादेवीं पत्नि जगदीश चन्द्र अठारिया, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थान)

———प्रार्थीया

बनाम

जगदीश पिता सोहनलाल अठारिया, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
रामकरण पिता मोहनलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
हरकलाल पिता मोहनलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
लोगर पिता देवा मीणा, उम्र बालिग निवासी शिवभोजनालय, पुराना बस स्टैण्ड के पास, भीलवाड़ा
सील व जिला भीलवाड़ा ( राजस्थान)
नंदलाल पिता रामचन्द्र अठारिया, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
शकरलाल पिता रामचन्द्र अठारिया, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:—31.7.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर ल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 8929 रकबा 1 बीघा 1 930 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड ीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के न्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया ते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। ीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 9.4.2018 को पंजीबद्व किया जाकर म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1,2,3,5,6,7 के बाद तामिल प्राप्त हुये। मिल. पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 7 उपस्थित । विपक्षी संख्या 1,2,3,5 व 6 उपस्थित क्षी संख्या 1, 2, 3, 5 व 6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी नहीं होने के कारण दिनांक 8.4.19 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता ी संख्या 4 का नाम डिलिट किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से दिनांक 12.7.2019 ी संख्या 4 का नाम डिलिट किया गया। तथा विपक्षी संख्या 7 का जवाब भी बंद किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक हस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व श्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल मय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं श्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में हने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल ी नम्बर 8929 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 8930 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 11 भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 300/–रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर र नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा र पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये नदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner